न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 186 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मुकनाराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष 2. रामाराम पुत्र चिमाराम उम्र 30 वर्ष 3. सारोदेवी पत्नि चिमाराम उम्र 55 वर्ष 4. कोशलारामा पुत्र देवाराम उम्र 40 वर्ष 5. खेमाराम पुत्र देवाराम उम्र 58 वर्ष 6. सोनाराम पुत्र देवाराम उम्र 65 वर्ष जातियान जाट निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. भंवरसिंह पुत्र छतरसिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी दाखा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. अर्जुनसिंह पुत्र दीपसिंह उम्र 72 वर्ष 3. रूठसिंह पुत्र दीपसिंह उम्र 65 वर्ष जातियान राजपूत निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल निवासी बाड़मे 4. हरचन्दराम पुत्र आईदानराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. मानाराम पुत्र गुणेशाराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी जोगासर, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री देवीसिंह महेचा, विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
2. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:46 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक –12.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत मौजा दाखा पटवार हल्का दाखा में खसरा संख्या 1634/441 रकबा [illegible]376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1635/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता

उपखण्ड अधिकारी

है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा दाखा पटवार हल्का दाखा में खसरा संख्या 1634/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1635/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से जवाब पेश किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा दाखा पटवार हल्का दाखा में खसरा संख्या 1634/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1635/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा दाखा पटवार हल्का दाखा में खसरा संख्या 1634/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1635/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी सं. 1 के वकील की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान कब करवाया, आवेदन पत्र कब दिया उसका आदेश कब जारी किया गया तथा उत्तरदाता को सीमाज्ञान के संबंध में कब सुचित किया गया तथा किस तारीख को सीमाज्ञान करने पर विवाद उठा ऐसे कोई तथ्य पद में अंकित नहीं किये गये है पूर्ण रूप से बनावटी तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो बिना किसी सीमा विवाद के एवं बिना सीमाज्ञान किये विधि विरुद्ध पेश किया गया है जो काबिल निरस्त के है। प्रार्थीगण के वादग्रस्त खसरान के संपूर्ण पडोसी पक्षकारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा कौनसा विप्रार्थी राजनीतिक व धनबल का प्रभावशाली है प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का वर्तमान निवास स्थान कहा पर है, प्रार्थी [illegible] पूर्ण पता अंकित नहीं किया है। जिसके अभाव में तामिल नहीं [illegible] से विधि के विरूद्ध अधूरा व प्रार्थीगण द्वारा साफ हाथों से पेश नहीं किया गया [illegible] प्रार्थना पत्र में किस दिनांक, तिथि, मिति वार को विवाद उत्पन्न हुआ जिससे प्रार्थना पत्र [illegible] पैदा हुआ। हेतुक व म्याद अवधि के अभाव में तथा कच्ची नेखम के अभाव में पक्की नेखम कभी भी नहीं की जा सकती। कच्ची नेखम के कोई दस्तावेज का किसी भी पद में व तारीख को विवाद होने की रिपोर्ट का विवरण अंकित नहीं होने से तथा प्रार्थना पत्र का कारण किस दिनांक को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उत्पन्न हुआ अंकित नहीं होने से तथा उत्तरदाता की भूमि जो सड़क व प्रार्थीगण की भूमि के मध्य अवस्थित है जिसको रास्ता के उपयोग में लेने हेतु स्थानीय कर्मचारियों से मिल कर झूठी पत्थरगढी करवाई जाकर बिना रास्ता प्राप्त किये रोड पर आवागमन करना चाहता है जो पूर्ण स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से व वाद कारण अंकित नहीं करने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

4.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा दाखा पटवार हल्का दाखा में खसरा संख्या 1634/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1635/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है जहां तक विप्रार्थी सं. 1 के वकील की बहस के तथ्यों अनुसार उजर एतराज किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में अधिनियम की मंशा के तहत जरिये नेखमबंदी के ही भौतिक स्थिति अथवा सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी खेत की सीमाओं के निर्धारण हेतु नेखमबंदी के आवेदन को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें, लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा दाखा पटवार हल्का दाखा में खसरा संख्या 1634/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1635/441 रकबा 3.7376 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र को सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/- प्रार्थीगण से पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी